राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प.7 (42)परि / नियम / मु. / 94 / पार्ट--III / 22990 जयपुर,दिनांकः-- 26/10/16

कार्यालय आदेश...39.../2016

विभाग द्वारा ट्रेक्टर--ट्रॉली (कृषि / वाणिज्यिक) के पंजीयन, फिटनेस, परमिट,लाईसेंस आदि के संबंध में कार्यालय आदेश 07 / 2015 दिनांक 23.03.2016 जारी विस्तृत दिशा--निर्देश प्रदान किये गये थे। यह संज्ञान में लाया गया है कि ट्रेक्टर--ट्रॉली के पंजीयन में संबंधित व्यक्तियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा भी विशेष कैम्प लगवाये जाने हेतु विभाग को लिख गया है। अतः जनहित को दृष्टिगत् रखते हुये ट्रेक्टर--ट्रॉली (कृषि / वाणिज्यिक) के पंजीयन हेतु विशेष कैम्प लगाये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है एवं इस संबंध में निम्न निर्देश प्रदान किये जाते है:--

1. इस कैम्प में ट्रेक्टर व ट्रॉली का भौतिक सत्यापन किया जावे एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्ररूप 20 पर ट्रेक्टर व ट्रॉली दोनों के ही चैसिस क्रमांक का इम्प्रैशन लिया जावें।
2. इस कैम्प में ट्रेक्टर व ट्रॉली स्वामी को पंजीयन व अन्य प्रक्रिया यथा आवश्यक दस्तावेजों, कर, शुल्क आदि के संबंध में मार्गदर्शन दिया जावे एवं यदि आवेदन में कोई कमी / आक्षेप हो तो उसके संबंध में वाहन स्वामी को अवगत करवाया जावें।
3. इसके उपरान्त् वाहन स्वामी को समस्त दस्तावेजों सहित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु समय दिया जावे।
4. कार्यालय में निर्धारित दिनांक को उपस्थित होने पर नियमानुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण होने पर वाहन का पंजीयन व संबद्ध अन्य कार्य किया जावे।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना की जावे।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
क्रमांक: प.7 (42)परि/नियम/मु./94/पार्ट-III/22991-995 जयपुर,दिनांक:- 26/10/1-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. मुख्यालय अधिकारीगण (समस्त)।
3. प्रादेशिक/ अति. प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी (समस्त)।
4. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

26/10

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)